

## कार्यालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, करौली (राज.)

क्रमांक- आदेश/रिमाण्ड/ 39

दिनांक- 03 जून, 2025

### ---:: रिमाण्ड ड्यूटी बाबत कार्यालय-आदेश ::---

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 12 संपठित धारा 13(2) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं परवीन बानू, आर.जे.एस. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, करौली माह जून 2025 की रिमाण्ड ड्यूटी बाबत पूर्व में जारी आदेश दिनांक 27.05.2025 में आंशिक संशोधन करते हुए आदेश पारित करती हूँ कि करौली जिला न्यायक्षेत्र के समस्त थानों की सीमा में उत्पन्न होने वाले आवश्यक फौजदारी मुकदमात में रिमाण्ड, जमानत, मृत्युकालीन कथन व अन्य आवश्यक फौजदारी कार्य के लिए कॉलम संख्या-2 में अंकित पीठासीन अधिकारी को निम्नानुसार अधिकृत किया जाता है:-

माह जून 2025

| क्र.सं. | नाम अधिकारी              | पदनाम                                   | ड्यूटी की दिनांक |
|---------|--------------------------|-----------------------------------------|------------------|
| 01      | 02.                      | 03.                                     | 04               |
| 1       | श्री देवेन्द्र कुमार RJS | अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट करौली | 07, 08 June 2025 |

नोट- उक्तांकित दिनांक की रिमाण्ड ड्यूटी के अलावा इस कार्यालय का पूर्व आदेश क्रमांक आदेश/रिमाण्ड/37 दिनांक 27.5.2025 यथावत रहेगा।

निर्देश:-

- अधिकृत किए गए पीठासीन अधिकारी नियत तिथि के पूर्ववर्ती कार्य दिवस के कार्यालय समय पश्चात से पश्चातवर्ती कार्य दिवस को कार्यालय समय पूर्व तक कार्य सम्पादित करेंगे।
- यदि किसी कारण से निर्धारित तिथि के अगले दिन राजकीय अवकाश घोषित हो जाता है तो वही पीठासीन अधिकारी उक्त कार्य करेंगे जो राजकीय अवकाश घोषित होने से पूर्व दिवस के लिए नियत किए गए थे।
- नियत किए दिवस को यदि किसी आकस्मिक घटना या अपरिहार्य कारणों से अधिकृत अधिकारी को असुविधा है तो वे किसी अन्य अधिकारी की सहमति प्राप्त कर इस कार्यालय को सूचित करेंगे तथा कार्यालय द्वारा संशोधित आदेश पारित होने के पश्चात ही नियमानुसार अनुमति प्राप्त कर मुख्यालय परित्याग करें।

*Paveen Banu*  
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,  
करौली

क्रमांक- 335 से 740

दिनांक- 03.06.2025

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- श्रीमान् जिला एवं सेशन न्यायाधीश महोदय, करौली।
- श्रीमान पुलिस अधीक्षक करौली को वास्ते सूचित करने समस्त आरक्षी केन्द्र
- संबंधित अधिकारी सर्व श्री देवेन्द्र कुमार ACJM Karauli/ सुश्री प्रियंका गीना, ACJ&JM No 1 Hinduan
- सिस्टम अधिकारी करौली को इस निर्देश के साथ कि सभी अधिकारीगण की मेल आई डी पर आदेश भिजवावे एवं जिला न्यायालय करौली की बेबसाईट पर इस आदेश को अपलोड करें।
- प्रभारी अधिकारी, पुलिस कंट्रोल रूम, करौली।
- आदेश पत्रावली /नोटिस बोर्ड

*Paveen Banu*  
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,  
करौली